

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 18(3)स्था./गृह-10/23

जयपुर, दिनांक: 21.11.2025

आदेश

निम्न सहायक निदेशक अभियोजनगण उनके नाम के आगे अंकित कार्यालय/न्यायालय में अस्थाई आधार पर कार्यव्यवस्था के रूप में अग्रिम आदेश तक कार्य करेंगे :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी/पदनाम	कार्यव्यवस्था के रूप में पदस्थापन
1	श्रीमती भगवती चौहान सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) जयपुर	विशिष्ट लोक अभियोजक न्यायालय प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी, जयपुर
2	श्री सुरेन्द्र कुमार मीना विशिष्ट लोक अभियोजक न्यायालय प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी, जयपुर	सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) जयपुर

संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

(रवि शर्मा) 21/11/25
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) जयपुर।
4. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन
7. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

(रवि शर्मा) 21/11/25
शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर